NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 15 Nov, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : Governance / Prelims**	संसद की मंजूरी के दो साल बाद लागू हुआ डेटा प्राइवेसी कानून
Page 12 **Syllabus : GS 2 : Social Justice / Prelims**	सुरक्षित रेल यात्रा के लिए
Page 13 **Syllabus : GS 2 & 3 : IR and Economy / Prelims**	भारत-कनाडा ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों और निवेश पर संबंध मजबूत किए
In News **Syllabus : GS 1 : History / Prelims**	बिरसा मुंडा की जयंती पर, आइए उनकी गरिमा की लड़ाई का जश्न मनाएं
In News **Syllabus : Prelims**	हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित
Page 08 : Editorial Analysis **Syllabus : GS 3 : Indian Economy**	लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, एक अच्छा संतुलन

Page 01 : GS 2 : Governance / Prelims

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 और DPDP नियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों की अधिसूचना अधिकार-आधारित डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने के भारत के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। संसद द्वारा पारित होने के दो साल बाद, कानून निजता के अधिकार को लागू करने का प्रयास करता है, जिसे ऐतिहासिक केएस पुट्टास्वामी (2017) फैसले में मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। जबकि कानून का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा करना है, राज्य को दी गई छूट, आरटीआई अधिनियम को कमजोर करने और प्रवर्तन समयसीमा में देरी के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं।

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Data privacy law comes into effect, two years after Parliament approval

Aroon Deep
NEW DELHI

The Union government notified large parts of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 on Friday, addressing the need for a law to protect the data privacy of Indian citizens.

The DPDP Rules, 2025 are also a significant step forward in compliance with the Supreme Court's 2017 *K.S. Puttaswamy v. Union of India* judgment affirming the right to privacy.

A draft of the Rules was circulated in January and mulled over for a significant period of time.

The law, passed in August 2023 in Parliament, requires firms to safeguard the digital data ofcitizens, with exemptions for the "State and its instrumentalities", and prescribes penalties for firms that breach these obligations.

'Weakens RTI Act'

Meanwhile, transparency activists have said the law weakens the Right to Information Act, 2005 by removing the obligation of government bodies to provide "personal information" if the public interest outweighs a public official's right to privacy.

That amendment is in force from Friday. However, "data fiduciaries", who collect and use personal data, will have until November 2026 to comply with some provisions, such as putting out the details of their designated Data Protection Officer.

It may take until May 2027 for large tech firms to be subject to the full force of the Act, which also provides for the constitution of the Data Protection Board of India (DPBI) by the Centre.

Another notification – there were a total of four on Friday – sets the number of members in the DPBI at four. The board can hold inquiries in response to complaints and impose penalties in case of data breaches.

The DPDP Act, 2023, has gone through three major drafts since 2017, with the first draft in 2018 imposing conditions like data localisation that were furiously resisted by technology firms. The latest version of the Act, which strips out many of the requirements of the original draft, has been relatively better received among large Indian and global tech firms, which as "significant data fiduciaries," would face additional compliance requirements.

Nasscom, which represents the main IT and technology firms, said in a statement that it welcomed the Rules, but had problems with the Act that could not be solved by "subordinate legislation", such as tight rules around parental consent and short disclosure deadlines for breaches.

"On international data transfers, Nasscom-DSCI recognises the importance of developing mechanisms that support interoperability and facilitate co-operation with India's key trading partners," Nasscom said.

Delhi-based digital rights advocacy Internet Freedom Foundation (IFF) said the notified Rules "do not address key structural concerns repeatedly raised by civil society" and rued the fact that they "[defer] most core obligations and rights" by a year and a half.

The Rules "provides statutory backing for enabling personal data collection by state agencies with scant oversight, thereby entrenching state control over personal data," the IFF said.

Closer to compliance

With key parts of the DPDP Act now notified, the government edges closer to enforcing the 2017 Supreme Court privacy judgment and strengthening protections for Indians' personal data

Aug. 2017: The Supreme Court rules that privacy is a **fundamental right**

July 2018: Retd. Justice **B.N. Srikrishna-led committee** submits its report and a draft data protection Bill

Dec. 2022: A **fresh draft Bill** prepared by the IT Ministry

Aug. 2023: Parliament passes the **Digital Personal Data Protection Act, 2023**

Jan. 2025: Draft rules to enforce the Act are put out for **public consultation**

प्रमुख प्रावधान अधिसूचित

1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा

- यह अधिनियम डिजिटल रूप में व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, प्रसंस्करण और भंडारण को नियंत्रित करता है।
- यह डेटा फिड्यूशियरीज़ (व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाली फर्मों) पर दायित्व डालता है।

[redacted]

2. राज्य छूट

- सरकार और उसकी एजेंसियों के लिए "राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में" व्यापक छूट।

3. उल्लंघन के लिए दंड

- डेटा उल्लंघनों और गैर-अनुपालन के लिए वित्तीय दंड निर्धारित करता है।

4. भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (डीपीबीआई)

- इसके लिए एक न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करेगा:
  - शिकायतों
  - उल्लंघन की पूछताछ
  - जुर्माना लगाना
- सरकार ने बोर्ड के लिए 4 सदस्यों को अधिसूचित किया।

5. विलंबित अनुपालन विंडो

- डेटा न्यासियों को पूर्ण अनुपालन के लिए नवंबर 2026 तक का समय मिलता है (उदाहरण के लिए, डेटा सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति)।
- बड़ी तकनीकी कंपनियों को मई 2027 तक ही पूर्ण दायित्वों का सामना करना पड़ सकता है।

उठाई गई चिंताएं

1. आरटीआई अधिनियम को कमजोर करना

- "व्यक्तिगत जानकारी" का खुलासा करने के दायित्व को हटाना, तब भी जब सार्वजनिक हित गोपनीयता से अधिक हो।
- आरटीआई कार्यकर्ताओं को कम पारदर्शिता और जवाबदेही का डर है।

2. नागरिक समाज की चिंताएँ

- इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) पर मुख्य विशेषताएं:
  - नागरिकों के लिए प्रमुख अधिकारों को स्थगित करना
  - डेटा संग्रह के लिए व्यापक राज्य शक्तियां
  - सीमित निरीक्षण तंत्र

3. उद्योग संबंधी चिंताएँ

- नैसकॉम:

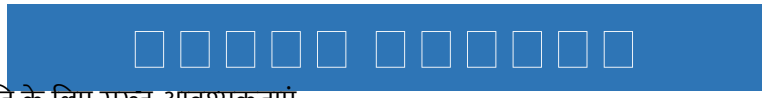

- माता-पिता की सहमति के लिए सख्त आवश्यकताएं
- उल्लंघन रिपोर्टिंग के लिए छोटी समयसीमा
- सुचारू वैश्विक डेटा ट्रांसफर ढांचे की आवश्यकता

4**. व्यापक सरकारी शक्तियां**

- आलोचकों का तर्क है कि अधिनियम अनुमति देता है:
  - पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना व्यापक संग्रह
  - कोई स्वतंत्र डेटा संरक्षण प्राधिकरण (DPBI केंद्र के नियंत्रण में है)

स्थैतिक भाग लिंकेज

1. निजता का अधिकार

- अनुच्छेद 21 (पुट्टास्वामी निर्णय) के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया।
- डीपीडीपी अधिनियम गोपनीयता संरक्षण को वैधानिक समर्थन देने का भारत का प्रयास है।

2. वैश्विक मॉडलों के साथ तुलना

- यूरोपीय संघ का जीडीपीआर: सख्त, अधिकार-आधारित, स्वतंत्र नियामक
- यूएस मॉडल: क्षेत्रीय और बाजार-संचालित
- भारत का डीपीडीपी अधिनियम: मिश्रित मॉडल, लेकिन अधिक राज्य-अनुकूल

3. भारत में डेटा संरक्षण का विकास

- न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण समिति (2018)
- 2019, 2021, 2022 के ड्राफ्ट
- वर्तमान अधिनियम ने डेटा स्थानीयकरण और स्वतंत्र नियामक मॉडल जैसे कई पुराने प्रावधानों को कमजोर कर दिया है।

प्रभाव

1. नागरिकों के लिए

- पेशेवरों: बेहतर डिजिटल अधिकार प्रवर्तन (सहमति, शिकायत निवारण)।
- चिंताएं: संशोधित आरटीआई के तहत पारदर्शिता में कमी, राज्य निगरानी संभावनाएं।

2. उद्योग के लिए

- अनुपालन अपेक्षाओं पर स्पष्टता।

- लंबी संक्रमण अवधि सहायक।
- अभी भी परिचालन बोझ और वैश्विक डेटा ट्रांसफर नियमों के बारे में चिंताएं हैं।

3. शासन के लिए

- डिजिटल ट्रस्ट इकोसिस्टम को मजबूत करना।
- लेकिन डेटा पर केंद्रीकृत नियंत्रण बढ़ाता है, संघीय सिद्धांतों और गोपनीयता अधिकारों के साथ संघर्ष का जोखिम उठाता है।

समाप्ति

डीपीडीपी अधिनियम और इसके नियमों का संचालन भारत की लंबे समय से प्रतीक्षित डेटा सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि कानून का उद्देश्य निजता के संवैधानिक अधिकार को बनाए रखना है, राज्य को इसकी व्यापक छूट और आरटीआई सुरक्षा उपायों को कमजोर करना जवाबदेही और निरीक्षण के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है। जैसे-जैसे भारत अपने डिजिटल परिवर्तन को गति दे रहा है, गोपनीयता, पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा और नवाचार को संतुलित करने से यह निर्धारित होगा कि क्या अधिनियम नागरिकों के डेटा अधिकारों का एक मजबूत संरक्षक बन जाता है या विस्तारित राज्य शक्ति के लिए एक उपकरण बन जाता है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, डीपीडीपी ढांचा भारत के उभरते डिजिटल शासन परिदृश्य और इसके संवैधानिक निहितार्थों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है।

2. अधिनियम कुछ परिस्थितियों में राज्य और उसके साधनों को छूट प्रदान करता है।

3. भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: जांच करें कि डीपीडीपी अधिनियम, 2023 और डीपीडीपी नियम, 2025 का उद्देश्य राज्य की कार्यात्मक आवश्यकताओं के साथ व्यक्तिगत गोपनीयता को संतुलित करना कैसे है। क्या वर्तमान सुरक्षा उपाय पर्याप्त हैं? **(150 शब्द)**

Page 12 : GS 2 : Social Justice / Prelims

केरल में हाल ही में हुई घटना जहां एक 19 वर्षीय महिला श्रीकुट्टी को चलती ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया था, ने एक बार फिर भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाली महिलाओं के सामने आने वाली कमजोरियों को उजागर किया है। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक और लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा होने के बावजूद, रेलवे सुरक्षा-विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा-एक प्रणालीगत चुनौती बनी हुई है।

For a safe rail journey

Kerala is yet to recover from the horrifying news of a young woman being pushed out of a moving train and critically injured, the second such incident to be reported from the State. **Aathira Haridas** and photo journalist **Thulasi Kakkat** travel on the New Delhi-Thiruvananthapuram Kerala Express, the train on which the young victim travelled, to understand the safety concerns of women passengers

In the dimly lit women's waiting room of the Thiruvananthapuram Central Railway Station, K.S. Anishma, a young techie, waits impatiently for her midnight train to arrive.

Guruvayur Express, the train which is to take her from Thiruvananthapuram to Thrissur, is running late by over an hour. It's past 10 p.m. and the heavy stream of passengers stepping out of trains is thinning down. The occasional announcement made through the passenger information system and the chugging of trains at the outermost platforms liven up the atmosphere. A few passengers are seen moving across platforms on escalators to board the trains.

Anishma, who listens to the announcement made through the public address system, looks at ease travelling on a midnight train all alone. She wears no ornaments, flashy dresses or attractive accessories, as if making a minimalist fashion statement. She would later reveal that her nonchalant demeanour was a carefully curated attempt to blend in and not attract any attention, and travel unnoticed.

"The insecurity and fear never leave you while travelling alone. It is always there. Everywhere," says Anishma. She has every reason to be worried about her safety while travelling alone, with the recent incidents of assaults on women travellers on trains exacerbating it.

> We don't have that kind of strength to cover all trains. On an average, 105 RPF and 57 GRP personnel are deployed daily across the divisions to ensure safety.
>
> RAILWAY PROTECTION FORCE OFFICER

पृष्ठभूमि और संदर्भ

- केरल में इसी तरह की दूसरी घटना बहुत कम समय में हुई है।
- 2011 के शोरानूर बलात्कार-हत्या मामले जैसे पिछले मामलों में आवर्ती पैटर्न दिखाई देते हैं।
- सुरक्षा पहलों की घोषणाओं के बावजूद, कार्यान्वयन अंतराल बना हुआ है।
- केरल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भय, एहतियाती व्यवहार और विश्वसनीय सुरक्षात्मक बुनियादी ढांचे की कमी का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान किया गया है।

रिपोर्ट में हाइलाइट किए गए प्रमुख मुद्दे

1. महिलाओं में लगातार भय की भावना

महिला यात्रियों ने "आत्मरक्षा रणनीतियों" को अपनाया:

- आभूषण और ध्यान आकर्षित करने वाले सामान से बचें
- ऊपरी बर्थ को प्राथमिकता दें
- लंबी यात्राओं के दौरान भी आधे जागते रहें
- अलग-अलग डिब्बों से बचें

यह संस्थागत सुरक्षा की संरचनात्मक विफलता को दर्शाता है, जो व्यक्तियों पर सुरक्षा का बोझ डालता है।

2. पुलिस की अपर्याप्त उपस्थिति

- आरपीएफ/जीआरपी की उपस्थिति असंगत है।
- कई यात्रियों का कहना है कि वे "शायद ही कभी" ट्रेनों में पुलिस देखते हैं।
- अपराध-प्रवण मार्गों में समर्पित तैनाती का अभाव है।
- केरल में प्रतिदिन 105 आरपीएफ और 57 जीआरपी कर्मी तैनात किए जाते हैं, जो ट्रेनों की संख्या के लिए अपर्याप्त है।

स्थैतिक लिंकेज:

- आरपीएफ: रेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय बल
- जीआरपी: राज्य के गृह विभागों के तहत राज्य पुलिस
- समन्वय के मुद्दे वास्तविक समय की प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं।

3. ट्रेनों में बढ़ते अपराध

- छोटी-मोटी चोरी से शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़े अपराधों की ओर बदलाव।
- उत्पीड़न, हमले, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं।
- लंबे रूटों पर ट्रेनों के अंदर नशीले पदार्थों की तस्करी आम होती जा रही है।

4. बुनियादी ढांचा और डिजाइन अंतराल

- मैनुअल दरवाजे हमलावरों को पीड़ितों को बाहर धकेलने और आसानी से भागने की अनुमति देते हैं।
- प्लेटफार्मों और प्रतीक्षालयों में खराब रोशनी।
- आपातकालीन अलार्म चेन पुरानी और अक्सर गैर-कार्यात्मक होती हैं।
- सामान्य डिब्बों में भीड़भाड़ से भेद्यता बढ़ जाती है।

चर्चा किए गए समाधान:

- लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में स्वचालित दरवाजे
- उन्नत आपातकालीन संचार प्रणाली
- निगरानी कैमरे और वास्तविक समय की निगरानी

5. भावनात्मक और सामाजिक आयाम

एक पिछली पीड़िता की मां ने बार-बार किए गए वादों को याद किया लेकिन बहुत कम अनुवर्ती कार्रवाई की। शो:

- बचे लोगों के परिवारों का आघात
- संस्थागत उदासीनता
- दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधारों का अभाव

मुख्य विश्लेषण

1. शासन और प्रशासनिक अंतराल

- रेलगाड़ियों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई मानकीकृत राष्ट्रीय प्रोटोकॉल नहीं है।
- आरपीएफ (केंद्र) और जीआरपी (राज्यों) के बीच समन्वित तैनाती का अभाव।
- स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट का अभाव।

2. सामाजिक दृष्टिकोण

- महिलाएं संस्थानों के बजाय "भीड़ सुरक्षा" पर भरोसा करती हैं।
- नियमित यात्री अनौपचारिक समर्थन नेटवर्क विकसित करते हैं - औपचारिक तंत्र में अंतराल दिखाते हैं।

3. समाधान के रूप में प्रौद्योगिकी

भारत की रेलवे अपग्रेड कर रही है, फिर भी:

- सीसीटीवी सार्वभौमिक रूप से कार्यात्मक नहीं हैं
- आपातकालीन प्रणालियाँ पुरानी हो चुकी हैं
- सामान्य डिब्बों में वास्तविक समय के आतंक बटन की कमी

- सभी कोचों को कवर करने वाला कोई एकीकृत निगरानी कक्ष नहीं

4. नीति-स्तरीय चिंताएँ

सुरक्षा उपाय अक्सर प्रतिक्रियाशील होते हैं:

- घटनाओं के बाद उपायों की घोषणा की गई
- कोई निरंतर कार्यान्वयन नहीं
- कार्रवाई करने में विफल रहने वाले राज्यों/रेलवे के लिए कोई जवाबदेही तंत्र नहीं

सरकारी प्रयास

मौजूदा पहल

- महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली कार्यक्रम
- सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमैटिक दरवाजों के लिए निर्भया फंड
- रेल मदद ऐप और 139 हेल्पलाइन
- रेलवायर वाई-फाई डिजिटल रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है

अंतराल

- सभी क्षेत्रों में असंगत कार्यान्वयन
- कर्मियों की कमी
- अपर्याप्त धन उपयोग

और क्या करने की जरूरत है?

1. सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाएं

- सभी रात्रिकालीन ट्रेनों में समर्पित आरपीएफ/जीआरपी की उपस्थिति
- यादृच्छिक आश्चर्य जांच
- विशेष महिला सुरक्षा दस्ते

2. बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करें

- लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में स्वचालित दरवाजे
- गार्ड/ड्राइवर से जुड़े पैनिक बटन
- लाइव फीड के साथ कार्यात्मक सीसीटीवी
- स्टेशनों और कोचों में बेहतर रोशनी

3. संस्थागत सुधार

- केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय ढांचा
- हर 6 महीने में अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट
- अपराध डेटा का उपयोग करके पूर्वानुमानित पुलिसिंग

4. सामाजिक उपाय

- जागरूकता अभियान
- सामुदायिक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करें
- एसओएस हेल्पलाइन को और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाया गया

समाप्ति

केरल की घटना भारतीय रेलवे के भीतर एक समग्र, प्रौद्योगिकी-सक्षम और मानव-केंद्रित सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। जबकि आधुनिकीकरण अभियान के तहत नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, यात्री सुरक्षा - विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा - एक गैर-परक्राम्य प्राथमिकता बन जानी चाहिए। सुरक्षित गतिशीलता सुनिश्चित करना केवल एक परिवहन मुद्दा नहीं है, बल्कि गरिमा, आवाजाही की स्वतंत्रता और समान अवसर के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। स्थायी सुधार, न कि प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं, नागरिकों के विश्वास का निर्माण करेंगे और भारत की रेल यात्रा को वास्तव में सुरक्षित बनाएंगे।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : भारतीय रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:

1. "मेरी सहेली" पहल का उद्देश्य महिला यात्रियों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

2. डिब्बों में इमरजेंसी अलार्म चेन सीधे केंद्रीय सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से जुड़ी होती है।

3. लंबी दूरी की सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में ऑटोमैटिक दरवाजे अनिवार्य हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 3

D. केवल 1 और 3

उत्तर : a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : स्वचालित दरवाजे, वास्तविक समय निगरानी और पैनिक बटन जैसे तकनीकी हस्तक्षेप भारत में रेलवे सुरक्षा को कैसे बदल सकते हैं? उनकी तैनाती में चुनौतियों का मूल्यांकन करें। **(150 शब्द)**

Page : 13 : GS 2 & 3 : IR and Economy / Prelims

भारत और कनाडा ने व्यापक रणनीतिक रीसेट के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा और उच्च तकनीक निवेश पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से अपने आर्थिक सहयोग को गहरा करने का फैसला किया है। यह कदम एक सुरक्षित, भविष्योन्मुखी औद्योगिक आधार के लिए भारत की महत्वाकांक्षा और अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने की कनाडा की इच्छा के बीच आया है।

India, Canada cement ties on trade, critical minerals, investment

Both countries agreed to 'identify and expand investment and trading opportunities in aerospace and dual-use capabilities partnerships'

The Hindu Bureau
NEW DELHI

India and Canada agreed to bolster long-term supply chain partnerships in critical minerals and expand investment and trade opportunities, the two countries said in a joint statement.

The statement, issued on Friday, followed a visit to New Delhi by Maninder Sidhu, Canada's Minister of Export Promotion, International Trade, and Economic Development, from November 11 to 14 at the invitation of Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal.

According to the statement, the two Ministers "agreed to encourage long-term supply chain partnerships in critical minerals and clean energy collaboration essential for energy transition, and new-age industrial expansion".

Trade diplomacy: Union Minister Piyush Goyal with Canada's Minister of International Trade Maninder Sidhu in New Delhi. ANI

Mr. Goyal and Mr. Sidhu also agreed to "identify and expand investment and trading opportunities in aerospace and dual-use capabilities partnerships".

The engagement between the two countries has gained momentum again following the direction provided by the Prime Ministers of India and Canada during their bilateral meeting on the sidelines of the G7 meeting in Kananaskis, Canada.

Renewing momentum

The foreign ministers of both countries had earlier issued a statement aimed at "renewing momentum towards a stronger partnership", and which identified trade as the cornerstone of bilateral economic growth and resilience.

मुख्य विश्लेषण

एक. महत्वपूर्ण खनिज सहयोग

- दोनों देश लिथियम, निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे खनिजों में दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
- यह भारत के ऊर्जा संक्रमण (ईवी, हाइड्रोजन) और चीन से रणनीतिक स्वायत्तता के लिए इसके प्रयास के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
- कनाडा, जिसके पास प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार है, भारत की महत्वपूर्ण खनिज जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संभावित विश्वसनीय भागीदार है।

दो. व्यापार और निवेश में वृद्धि

- द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 23.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें अकेले व्यापारिक व्यापार बढ़कर ~8.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। द इकोनॉमिक टाइम्स
- दोतरफा निवेश प्रवाह भी बढ़ रहा है: कनाडा के संस्थागत निवेशक भारत में सक्रिय हैं, जबकि भारतीय कंपनियां कनाडा में विस्तार कर रही हैं।
- सहयोग के नए क्षेत्रों में एयरोस्पेस और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जो नागरिक और रक्षा अनुप्रयोगों को जोड़ती हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स

तीन. रणनीतिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ

- दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा कनानास्किस में जी-7 बैठक के दौरान दिए गए निर्देश के बाद नए सिरे से जुड़ाव किया गया है, जिससे राजनीतिक गति बढ़ गई है।
- कनाडा दुर्लभ पृथ्वी और अन्य रणनीतिक खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान पर जोर दे रहा है।
- भारत के लिए, यह सहयोग आपूर्ति-श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करता है और रणनीतिक जोखिम को कम करते हुए इसके राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का समर्थन करता है।

निष्कर्ष यह भारत-कनाडा आर्थिक रीसेट प्रतीकात्मक से कहीं अधिक है: यह महत्वपूर्ण खनिजों और भविष्य के उद्योगों पर केंद्रित पारस्परिक रूप से संरेखित रणनीतिक हितों को दर्शाता है। भारत के लिए, कनाडा के साथ साझेदारी विवादित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करने में मदद करती है और इसकी औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करती है। कनाडा के लिए, भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने से नए बाजार खुलते हैं क्योंकि यह अपने स्वयं के महत्वपूर्ण खनिजों के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। यदि यह कायम रहती है, तो यह साझेदारी दोनों देशों के हरित और तकनीकी परिवर्तन की आधारशिला बन सकती है।

□□□□□ □□□□□□

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए:

1. लिथियम

2. निकल

3. कोबाल्ट

4. दुर्लभ पृथ्वी तत्व

उपरोक्त में से किसे भारत के ऊर्जा संक्रमण मिशन के लिए "महत्वपूर्ण खनिज" के रूप में वर्गीकृत किया गया है?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) 1, 2, 3 और 4

(D) 2, 3 और 4

उत्तर : c)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं? भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए उनके महत्व की जांच करें और मूल्यांकन करें कि क्या कनाडा के साथ साझेदारी भारत की आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को सुरक्षित करने में मदद कर सकती है।

□□□□□ □□□□□□□

In news : GS 1 : History / Prelims

भारत के सामाजिक-राजनीतिक विकास को इसके आदिवासी समुदायों द्वारा गहराई से आकार दिया गया है, जिनके संघर्ष - शुरुआती औपनिवेशिक युग के विद्रोहों से लेकर अधिकारों की समकालीन मांगों तक - पहचान, भूमि, संस्कृति और स्वायत्तता के निरंतर दावे को दर्शाते हैं। हाल के वर्षों में, जनजातीय विरासत पर राष्ट्रीय सुर्खियां तेज हो गई हैं, विशेष रूप से **जनजातीय गौरव दिवस के पालन** और ऐतिहासिक अंतराल को पाटने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर सशक्तिकरण योजनाओं के साथ।

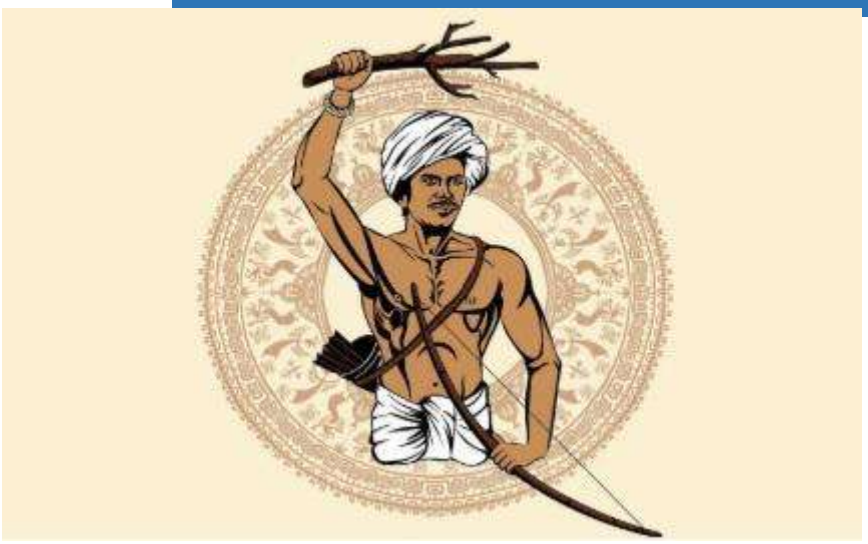

चर्चा में क्यों?

बिरसा मुंडा की जयंती ने नए सिरे से राष्ट्रीय महत्व प्राप्त किया है क्योंकि भारत जनजातीय **गौरव वर्ष** के दौरान प्रमुख जनजातीय प्रतीकों की **150वीं जयंती चक्र (2021-2024)** के समापन का प्रतीक है।

पहली बार, आदिवासी नेताओं, उनके आंदोलनों और सांस्कृतिक विरासत को एक समर्पित राष्ट्रीय दिवस- जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से याद किया जाता **है**, जो लंबे समय से हाशिए पर रहने से औपचारिक राष्ट्रीय मान्यता की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है।

यह मान्यता पीएम-जनमन मिशन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सांस्कृतिक संरक्षण कार्यक्रमों **जैसी पहलों के माध्यम से व्यापक नीतिगत प्रोत्साहन के साथ मेल खाती** है, जो जनजातीय समुदायों को अलगाव से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी में बदलने में सक्षम बना रही है।

आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन ने भारत के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने को कैसे आकार दिया?

1. ऐतिहासिक प्रतिरोध

आदिवासी समाजों ने कई संगठित और वैचारिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह किए:

- ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार
- शोषक जमींदारी प्रथाएं
- साहूकार और ठेकेदार

प्रमुख आंदोलन: तिलका मांझी, सिद्धू-कान्हू (संथाल), रानी गाइदिन्ल्यू (ज़ेलियांगरोंग), तांतिया भील, शहीद वीर नारायण सिंह, आदि।

2. सामूहिक अभिकथन

इन आंदोलनों ने प्रदर्शित किया कि आदिवासी विद्रोह अलग-थलग विद्रोह नहीं थे, बल्कि:

- संरचनात्मक अन्याय के खिलाफ सामूहिक प्रतिक्रियाएं
- राजनीतिक चेतना की प्रारंभिक अभिव्यक्तियाँ
- भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण अग्रदूत

3. सांस्कृतिक और भूमि संरक्षण

जनजातीय प्रतिरोध पर जोर दिया गया:

- जल-जंगल-जमीन की रक्षा
- सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक स्वायत्तता का संरक्षण
- जबरन आत्मसात करने की अस्वीकृति

ये मूल्य आज भी भूमि अधिकारों की बहस और आदिवासी अधिकारों के ढांचे को प्रभावित करते हैं।

बिरसा मुंडा जनजातीय पहचान के केंद्र में क्यों है?

1. प्रतिरोध और गरिमा का प्रतीक

बिरसा ने औपनिवेशिक शासन, मिशनरी हस्तक्षेप और शोषक बिचौलियों को चुनौती देते हुए उलगुलान (द ग्रेट टमल्ट) **का नेतृत्व किया**। उन्होंने निम्नलिखित आदर्शों को स्पष्ट किया:

- आदिवासी स्वशासन
- सांस्कृतिक गौरव
- भूमि अधिकारों का संरक्षण

2. राष्ट्रीय मान्यता

2021 में, भारत सरकार ने उनकी जयंती को **जनजातीय गौरव दिवस के रूप में नामित किया** - पहला **राष्ट्रीय दिवस जो विशेष रूप से आदिवासी विरासत को समर्पित है**।

3. राजनीतिक और प्रशासनिक विरासत

बिरसा मुंडा से जुड़ा क्षेत्र किसके गठन का केंद्र बन गया?

- **झारखंड**

- **छत्तीसगढ़**
- **उत्तराखंड**

इन पुनर्गठनों ने आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक स्वायत्तता को बढ़ाया।

जनजातीय सशक्तिकरण के लिए हाल ही में सरकार की पहल

1. पीएम-जनमन मिशन

75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के परिवर्तनकारी **विकास** के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल:

- आवास, सड़कें, पेयजल, बिजली
- स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीविका सहायता

यह कल्याणकारी सहायता से निरंतर सशक्तिकरण की ओर एक बदलाव का प्रतीक है।

2. ढाणी आबा जनजातीय गौरव आश्रम अभियान

- समुदाय-केंद्रित विकास स्थान स्थापित करता है
- स्थानीय शासन, कौशल और सांस्कृतिक संरक्षण को मजबूत करता है

3. ईएमआरएस का विस्तार

- **728** एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई
- **479** पहले से ही चालू हैं
- जनजातीय बच्चों के बीच संरचनात्मक शैक्षिक असमानताओं को दूर किया

4. जनजातीय व्यापार सम्मेलन

- जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार संपर्क
- पारदर्शिता और उचित मूल्य निर्धारण के लिए जियोटैगिंग
- उद्यमिता और एमएसएमई समावेशन का समर्थन करता है

राजनीतिक नेतृत्व और सांस्कृतिक मान्यता

1. शासन में अधिक प्रतिनिधित्व

के माध्यम से निरंतर प्राथमिकता:

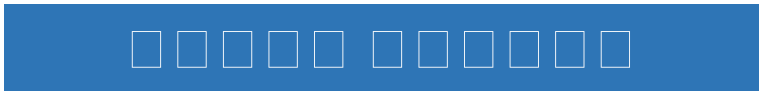

- जनजातीय कार्य मंत्रालय
- बढ़ा हुआ बजट आवंटन
- अधिकार-आधारित कानून (एफआरए 2006, पेसा 1996)

2. विरासत संरक्षण

- **10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को** मंजूरी दी गई
- **4** का उद्घाटन
- जनजातीय नायकों के उपेक्षित इतिहास के दस्तावेजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया

3. प्रतीकात्मक स्वीकृति

बिरसा मुंडा के जन्मस्थान उलिहातु **की प्रधानमंत्री की यात्रा** जनजातीय प्रतीकों और इतिहास की राष्ट्रीय स्तर की मान्यता को दर्शाती है।

अलगाव से मुख्यधारा की भागीदारी तक

1. शासन समावेशन

संस्थागत तंत्र और लक्षित योजनाओं में सुधार हुआ है:

- राजनीतिक समावेशन
- कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच
- स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व

2. सामाजिक-आर्थिक एकीकरण

में तेजी से सुधार:

- कनेक्टिविटी
- डिजिटल एक्सेस
- स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा का बुनियादी ढांचा
- कौशल और आजीविका के अवसर

3. सांस्कृतिक पुनरुद्धार

जनजातीय गौरव वर्ष **जैसे राष्ट्रीय समारोह** मजबूत करते हैं:

- जनजातीय संस्कृति के बारे में पीढ़ी-दर-पीढ़ी जागरूकता
- भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान
- आत्मसात किए बिना एकीकरण

समाप्ति

बिरसा मुंडा की विरासत इतिहास से परे है - न्याय, गरिमा और सामुदायिक स्वायत्तता के उनके आदर्श भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के केंद्र में बने हुए हैं। नए सिरे से राष्ट्रीय मान्यता और पीएम-जनमन जैसे परिवर्तनकारी मिशनों के साथ, जनजातीय समुदाय ऐतिहासिक हाशिए पर रहने से सशक्त भागीदारी की ओर बढ़ रहे हैं। केवल कल्याण वितरण से लेकर संस्थागत सशक्तिकरण तक विकसित दृष्टिकोण भारत में एक समावेशी और सांस्कृतिक रूप से सम्मानजनक विकास प्रतिमान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है।

UPSC Mains Practice Question

उपनिवेशवादी शासन ने भारत में आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासियों की प्रतिक्रिया क्या थी? **(150 शब्द)**

In news : Prelims

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री ने अंबाजी मार्बल (गुजरात), पन्ना डायमंड (मध्य प्रदेश), और लेपचा इंस्ट्रूमेंट्स (सिक्किम) सहित पूरे भारत में कई पारंपरिक उत्पादों को जीआई मान्यता प्रदान की।

जीआई टैग/उत्पाद	**ब्यौरा**
अंबाजी व्हाइट मार्बल (गुजरात)	• शुद्ध सफेद रंग, उच्च कैल्शियम सामग्री **और** स्थायित्व **के लिए जाना जाता** है• अंबाजी शक्तिपीठ, बनासकांठा **से प्राप्त**• दिलवाड़ा मंदिरों **और** अयोध्या राम मंदिर **में उपयोग किया जाता** है• अंबाजी मार्बल्स क्वारी एंड फैक्ट्री एसोसिएशन **द्वारा लागू** • **इसमें कैल्शियम ऑक्साइड** और **सिलिकॉन ऑक्साइड होता** है,

	जो ताकत बढ़ाता है• मंदिर के उपयोग के लिए निर्यात किया जाता है। **संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूके**
पन्ना हीरा (मध्य प्रदेश) 	• **कलेक्ट्रेट (डायमंड ब्रांच), पन्ना द्वारा आवेदन** • हल्के हरे रंग की टिंट **और** कमजोर कार्बन लाइन **की सुविधा** • एनएमडीसी की डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट **द्वारा प्रबंधित**• पद्मश्री रजनी कांत (भारत के जीआई मैन) **द्वारा समर्थित**• ट्रेसेबिलिटी, प्रामाणिकता **और** निर्यात क्षमता **को बढ़ाता है**
सिक्किम लेप्चा तुंगबुक 	• लेप्चा जनजाति का **पारंपरिक** तीन-तार वाला संगीत वाद्ययंत्र• **लेप्चा संगीत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व** रखता है• संगीत वाद्ययंत्र श्रेणी **के तहत** 5 नवंबर, 2025 **को जीआई प्रदान किया गया**

सिक्किम लेप्चा पुमतोंग पुलिट 	• **लेप्चा लोक परंपराओं के लिए बांस** की बांसुरी केंद्रीय है • **लेप्चा सांस्कृतिक पहचान** और विरासत का प्रतीक • **पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने** और **युवा सांस्कृतिक निरंतरता को संरक्षित करता है**
कन्नडिप्प्या (केरल) 	• **केरल के कारीगरों द्वारा तैयार की गई** पारंपरिक बांस की चटाई • **पर्यावरण के अनुकूल सामग्री** और **हाथ से बुने हुए डिजाइन** के लिए मान्यता प्राप्त • ग्रामीण सहकारी आय **और** शिल्प विरासत ब्रांडिंग **को बढ़ावा देता है**
अपातानी टेक्सटाइल (अरुणाचल प्रदेश)	• ज़ीरो घाटी की अपातानी जनजाति **द्वारा हाथ से बुना गया** • ज्यामितीय रूपांकनों **और** प्राकृतिक डाई के उपयोग **की विशेषताएं** • टिकाऊ आदिवासी वस्त्र शिल्प कौशल **का प्रतिनिधित्व करता है**

मार्तंडम हनी (तमिलनाडु)	• कन्याकुमारी जिले **में उत्पादित•** अद्वितीय पुष्प सुगंध, उच्च औषधीय मूल्य **के लिए जाना जाता है•** स्थानीय मधुमक्खी पालन और जैव विविधता आधारित आजीविका का **समर्थन करता है।**
बोडो अरोनई (असम) 	• बोडो समुदाय का **पारंपरिक** हाथ से बुना हुआ दुपट्टा • **सम्मान, पहचान** और **औपचारिक सम्मान का प्रतीक •** आदिवासी पैटर्न के साथ **हाथ से काता हुआ कपास/रेशम का** उपयोग करके बनाया गया
बेडू और बद्री गाय घी (उत्तराखंड)	• स्वदेशी पहाड़ी गाय की नस्लों **से उत्पादित•** उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से **पोषण समृद्धि** और शुद्धता **के लिए जाना जाता है•** पर्वतीय जैविक अर्थव्यवस्था **और** विरासत डेयरी उत्पादों **को बढ़ावा देता है**

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

शिल्प।	**की विरासत**
1. पुथुकुली शॉल	तमिलनाडु
2. सुजनी कढ़ाई	महाराष्ट्र
3. उप्पडा जामदानी साड़ियाँ	कर्नाटक

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(ब) 1 और 2

(c) केवल 3

(d) 2 और 3

उत्तर : a)

Page : 08 Editorial Analysis

Flexible inflation targeting, a good balance

C. Rangarajan
is Chairman, Madras School of Economics, Chennai

N.R. Bhanumurthy
is Director, Madras School of Economics, Chennai

Deriving acceptable rates of inflation that are consistent with growth prospects and macro conditions is worth undertaking

The present Flexible Inflation Targeting (FIT) framework in India as a mandate for monetary policy to manage inflation at 4% (+/-) 2% is ending in March 2026 and is under review. In this regard the Reserve Bank of India (RBI) has brought out a well-researched discussion paper, and has several questions for which views have been sought. Here, this article addresses three questions: headline versus core (excluding food), acceptable level of inflation, and inflation band.

Controlling inflation

Before responding to these questions, it is pertinent to highlight that inflation control by itself is an important objective of monetary policy. High inflation, above a tolerable level, is a regressive consumption tax that affects poorer households more disproportionately than the rich and households whose incomes are hedged. Indeed, high and volatile inflation hurts savings and misdirects investments. The issue of acceptable level of inflation came up first before the Chakravarty Committee which was of the opinion that "...the acceptable rise in prices is 4 per cent (reflecting changes in relative prices necessary to attract resources to growth sectors)...." The reasoning given is somewhat opaque.

The RBI has been focusing on inflation management all along, and more explicitly since the dismantling of automatic monetisation in 1994 that gave functional autonomy to the RBI in conducting monetary policy. In 2016, India adopted the FIT framework that also gave, in a broad sense, institutional autonomy. Since 2016, India's inflation is range-bound, by and large, despite facing multiple shocks. This is an achievement for a framework that is still evolving.

What to target

An issue that keeps recurring is the issue of what to target – headline or core inflation. If the overall objective of inflation control is to promote savings and investments and to protect the poor from shocks, then headline inflation should be the appropriate target. The assumption that 'food inflation' is only the result of supply shocks is not necessarily true. As some episodes in the past have shown, 'food inflation' in an environment of expansionary monetary policy will be much higher than in an environment of contractionary monetary policy.

There is also a mistaken conclusion that the behaviour of individual prices adds up to the increase in general price level (and, hence, inflation). As Milton Friedman famously said to an Indian audience in Mumbai in 1963, "If the Government is committed to a full employment policy, it may in response thereto expand the money supply by printing more money for Government expenditures or for other purposes. In that case, it is true that the upward push in wages produced inflation, not because it was necessarily inflationary but because it happened to be the mechanism which forced an increase in the stock of money."

Without an expansion in overall liquidity or money supply, the general price level cannot rise. The present debate in India between headline versus core inflation appears to miss the distinction between changes in relative prices and general price level. When there is no change in aggregate demand, food inflation results only in changes in relative prices. The general price level is not affected. However, Indian data show second round impacts of food inflation on core inflation through upward pressure on wages and other channels. This could lead to a change in the general price level, if the aggregate demand is allowed to expand, as Friedman warned. In such a situation, the scope of monetary policy must include 'food inflation'.

Acceptable level of inflation

Some studies, using Phillips Curve, have argued that there is a trade-off between growth and inflation. Empirically, the Phillips Curve argument did not stand the test of time. As Friedman and others argued, there is only a short-run trade-off, at best, and in the long run, with the expectations built-in, there will be no trade-off.

However, even in the short-run, low levels of inflation may even facilitate growth. But beyond a level, high inflation does hurt growth and this is how the concept of threshold inflation emerged. This may be noted in the *graph* where annual data for both inflation and growth since the 1991 period (excluding the COVID-19 year) is presented. A simple quadratic line between the two variables gives a non-linear relationship. The point of inflection is estimated at 3.98, suggesting that acceptable inflation for India could be about 4%.

Ideally, as the monetary policy is largely forward looking and the present review of FIT is to suggest the framework for the next five years, up to 2030-31, deriving acceptable rates of inflation consistent with growth prospects and macro conditions is worth undertaking. A preliminary simulation exercise in this direction does suggest inflation of below 4% as the acceptable rate. While this needs some robustness checks, especially about what the fiscal and external pressures could be in the next five years, this suggests that there is a very limited case for arguing for a higher inflation target above 4%.

On inflation band

The present limit of +/-2% has delivered enough flexibility for the monetary authorities to navigate. But what is not prescribed is how long the central bank can stay closer to the upper limit. In fact, staying close to the upper limit will defeat the spirit of the framework. The *graph* also suggests that beyond 6% inflation, the growth rate declines sharply.

It also depends on how we navigate the fiscal policy going forward. If we look back at the history of inflation in India, a major cause of high inflation in the 1970s and 1980s is the monetisation of fiscal deficit. That is why one major element in the reform process in the early 1990s was to abolish the system of issuing ad hoc treasury bills, which had the effect of an automatic monetisation of deficit. This was followed up later by the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act. A natural follower of this is FIT. FRBM provisions and FIT must go together. Slipping on any one of the two frameworks will have consequences on the other, thus, risking overall macroeconomic stability.

The views expressed are personal

Relationship between inflation and growth

As in the graph, the acceptable level of inflation for India is around 4%

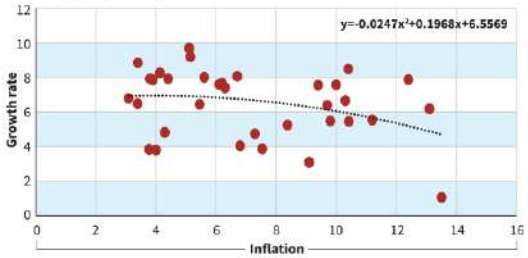

GS. Paper 3 भारतीय अर्थव्यवस्था

UPSC Mains Practice Question : PYQ : में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करें। **(150 शब्द)**

संदर्भ:

भारत ने 2016 में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (FIT) फ्रेमवर्क को अपनाया, जिससे RBI को मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देने के लिए वैधानिक स्वायत्तता मिली। 4% मुद्रास्फीति ± 2% सहिष्णुता बैंड का वर्तमान लक्ष्य 2026 में समीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे इस बात पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है कि क्या यह सीमा संरचनात्मक आपूर्ति झटके, जलवायु-संचालित खाद्य अस्थिरता और विकास-मुद्रास्फीति की गतिशीलता का सामना कर रही अर्थव्यवस्था में उचित बनी हुई है। आरबीआई द्वारा 1991 के बाद से अपना सबसे विस्तृत मुद्रास्फीति-वृद्धि विश्लेषण प्रकाशित करने के साथ, एफआईटी समीक्षा भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता के अगले दशक को आकार देने के लिए केंद्रीय बन गई है।

चर्चा में क्यों?

- RBI FIT की दूसरी पंचवार्षिक समीक्षा (2026 में देय) कर रहा है।
- हाल ही में जारी आरबीआई शोध में कोविड विकृतियों को छोड़कर 32 वर्षों के मुद्रास्फीति-वृद्धि के आंकड़ों का नक्शा तैयार किया गया है।
- मुद्रास्फीति अक्सर ऊपरी सहिष्णुता बैंड के पास रही है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या 4% लक्ष्य को संशोधन या सुदृढीकरण की आवश्यकता है।
- यह समीक्षा मौद्रिक स्वायत्तता, राजकोषीय समन्वय और दीर्घकालिक विकास स्थिरता को प्रभावित करेगी।

मुद्रास्फीति नियंत्रण मौद्रिक नीति के केंद्र में क्यों है?

एक. एक प्रतिगामी कर के रूप में मुद्रास्फीति - वास्तविक आय को कम करके गरीब परिवारों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है।

दो. संसाधन गलत आवंटन - उच्च मुद्रास्फीति निवेश और बचत निर्णयों को विकृत करती है।

तीन. ऐतिहासिक बेंचमार्क – चक्रवर्ती समिति (1985) ने 5% को स्वीकार्य के रूप में सुझाया; लेकिन संरचनात्मक स्थितियां बदल गई हैं।

चार. संस्थागत विकास - 1994 के बाद घाटे के मुद्रीकरण और एफआईटी (2016) के अंत ने आरबीआई की स्वायत्तता और विश्वसनीयता को मजबूत किया।

FIT फ्रेमवर्क कैसे काम करता है?

- लक्ष्य: ±2% बैंड के साथ 4% सीपीआई मुद्रास्फीति।
- हेडलाइन सीपीआई लक्षित है (कोर नहीं), क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति बहुसंख्यक परिवारों को प्रभावित करती है।
- भारत ने आपूर्ति के झटके (महामारी, तेल में वृद्धि) के बावजूद व्यापक रूप से सीमाबद्ध मुद्रास्फीति को बनाए रखा है।
- फ्रेमवर्क युवा बना हुआ है लेकिन उम्मीद-एंकरिंग और कम राजकोषीय प्रभुत्व में योगदान देता है।

□□□□□ □□□□□□

हेडलाइन इन्फ्लेशन बनाम कोर इन्फ्लेशन: भारत को क्या लक्ष्य रखना चाहिए?

- हेडलाइन सीपीआई खाद्य और ईंधन के झटके को दर्शाता है, जो भारत की खपत संरचना में आवश्यक है।
- मुद्रास्फीति = सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, सापेक्ष मूल्य परिवर्तन से अलग।
- फ्रीडमैन की अंतर्दृष्टि: मुद्रास्फीति के लिए अतिरिक्त तरलता की आवश्यकता होती है; अकेले सापेक्ष मूल्य परिवर्तन लगातार मुद्रास्फीति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
- इसलिए, हेडलाइन सीपीआई को लक्षित करना व्यापक व्यापक आर्थिक दबावों को अधिक प्रभावी ढंग से पकड़ता है।

दीर्घकालिक डेटा क्या दिखाता है?

- RBI के आँकड़े (1991-2023): मुद्रास्फीति-विकास संबंध द्विघात है।
- विकास ~3.98% मुद्रास्फीति पर अधिकतम होता है, यानी, 4% के वर्तमान केंद्रीय लक्ष्य के पास।
- ~4% से आगे, विकास में गिरावट आती है - यह दर्शाता है कि लगातार उच्च मुद्रास्फीति विकास को कम कर रही है।

बैंड कितना लचीला होना चाहिए?

- एफआईटी ने लचीलापन प्रदान किया है, लेकिन मुद्रास्फीति अक्सर 6% के आसपास मँडरा रही है।
- ऊपरी बैंड के पास लगातार संचालन से विश्वसनीयता में कमी का जोखिम होता है।
- भारत के ऐतिहासिक अनुभव (1970-80 के दशक) से पता चलता है कि अनियंत्रित मुद्रास्फीति, विशेष रूप से घाटे के मुद्रीकरण के तहत, विकास और बाहरी स्थिरता को नुकसान पहुंचाती है।
- FIT ऐसे राजकोषीय प्रभुत्व की वापसी को रोकने में मदद करता है।

भारत के लिए स्वीकार्य मुद्रास्फीति क्या निर्धारित करती है?

- फिलिप्स वक्र अनुभवजन्य वास्तविकता: विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी अधिक मुद्रास्फीति के स्तर को सहन करती हैं।
- भारत-विशिष्ट कमजोरियाँ:
    - खाद्य आपूर्ति के झटके
    - जलवायु परिवर्तनशीलता
    - वैश्विक कमोडिटी चक्र
    - मुद्रा में उतार-चढ़ाव और आयातित मुद्रास्फीति
- आरबीआई का शोध इस बात की पुष्टि करता है कि 4% दीर्घकालिक विकास अधिकतमकरण के अनुरूप बना हुआ है।

समाप्ति

भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे ने मौद्रिक विश्वसनीयता को मजबूत किया है, राजकोषीय प्रभुत्व को कम किया है और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर किया है। अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि 4 प्रतिशत एक उपयुक्त केंद्रीय लक्ष्य बना हुआ है, हालांकि भारत को ऊपरी बैंड के बार-बार उल्लंघनों को रोकने के लिए आपूर्ति-पक्ष लचीलापन और राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय में सुधार करना

चाहिए। व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और भारत के दीर्घकालिक विकास पथ का समर्थन करने के लिए एक कैलिब्रेटेड एफआईटी- लचीला लेकिन विश्वसनीय- आवश्यक है।